

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

सं. 13/2024- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 जुलाई, 2024

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 8 के उपनियम (4ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 27/2022- केंद्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में, संख्यांक सा.का.नि. 903(अ), द्वारा तारीख 26 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)

निदेशक